उपायुक्त का कार्यालय, कोडरमा

(समाज कल्याण शाखा)

E-mail - awc8.monitoring@gmail.com

-: वन स्टॉप सेन्टर, कोडरमा में विभिन्न पदों के विरूद्ध सेवाएँ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन :-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेन्टर योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत हिंसा से पीडित महिलाओं को सखी–वन स्टॉप सेन्टर में एक छत के नीचे पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवम् परामर्श, चिकित्सा सहायता, मनो–सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है।

कोडरमा जिले में इस योजनान्तर्गत एक सखी–वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किया गया है। कोडरमा जिले के सखी वन स्टॉप सेन्टर में विभिन्न सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तिगत अहर्त्ता प्राप्त सेवा प्रदाताओं को अनुबंधित करने हेतु अहर्त्ता प्राप्त अभ्यर्थियों से निम्नांकित विवरणी अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्र०	सेवा प्रदाता	कुल पद	आरक्षण रोस्टर	निर्धारित अर्हता	समेकित मासिक परिलब्धि
1.	केन्द्र प्रशासक (केवल महिलाओं के लिये)	01	अनारक्षित–01	शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। आवश्यक कार्य अनुभव : किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था / परियोजना में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जैसे मुद्दे पर कार्य करने का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। वांछित कार्य अनुभव: किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था / परियोजना में परामर्श दात्ता के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव।	रू० 30,000 /–
2.	केस वर्कर (केवल महिलाओं के लिये)	03	अनारक्षित–02, अत्यंत पिछडा वर्ग–01	शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक। आवश्यक कार्य अनुभव : किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था / परियोजना में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा जैसे मुद्दे पर कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 20,000 /–
3.	परामर्श दात्ता (केवल महिलाओं के लिये)	01	अनारक्षित–01	शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य / नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology)में स्नातकोत्तर। आवश्यक कार्य अनुभव : 01राज्य स्तरीय इकाई / जिला स्तरीय क्लिनिक या किसी प्रतिष्ठत मानसिक स्वास्थ्य संस्था में परामर्श दात्ता / मनोचिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 25,000 /–
4.	इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर (महिला / पुरूष के लिये)	01	अनारक्षित–01	शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौधोगिकी में स्नातक। आवश्यक कार्य अनुभव : राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय / गैर सरकारी संस्था या सूचना प्रौधोगिकी आधारित संस्था में Data management/ Process Documentation, Web based Reporting Formats एवं Video Conference विषयों पर कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 25,000 /–
5.	बहु उद्देश्य सहायक (केवल महिलाओं के लिये)	03	अनारक्षित–02, अत्यंत पिछडा वर्ग–01	शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण। आवश्यक कार्य अनुभव : सहायक / अनुसेवक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव।	रू० 10,000 /–
6.	सिक्युरिटी गार्ड (महिला / पुरूष के लिये)	03	अनारक्षित–02, अत्यंत पिछडा वर्ग–01	शैक्षणिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण। आवश्यक कार्य अनुभव : राज्य / जिला स्तर के सरकारी या प्रतिष्ठित संगठन में सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।	रू० 10,000 /–

आवेदन हेतु निदेशः–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में online वेबसाइट **www.recruitment.jharkhand.gov.in** पर समर्पित करेंगें।
2. ऑनलाईन आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्रों, अनुभव प्रमाण–पत्रों की पठनीय प्रतियाँ स्व–अभिप्रमाणित कर Upload किया जाना अनिवार्य है।
3. बिन्दु–2 में अंकित प्रमाण–पत्रों में से यदि कोई प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न नहीं है तो इसका लाभ अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा, यद्यपि Online आवेदन के विहित प्रपत्र में इसे अंकित किया भी गया हो।
4. शैक्षणिक योग्यता के अन्तर्गत मैट्रिक से प्रारंभ कर अद्यतन योग्यता अंकित की जाये एवंम् संबंधित प्रमाण पत्र यथा बिन्दु–2 Upload किये जाये।
5. कार्य–अनुभव के लिए नियोक्ता (Employer) के द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित पत्र/प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तद्नुसार कार्य–अनुभव से संबंधित पत्र/प्रमाण पत्र की प्रतियाँ यथाः बिन्दु–2, Upload किये जाये।
6. सेवाओं के लिए योगदान की तिथि से यह अनुभव 01 वर्ष के लिए होगा तत्पश्चात् सेवा अवधि का विस्तार सेवा प्रदाता के संतोषप्रद कार्य प्रदर्शन तथा योजनान्तर्गत कार्य की आवश्यकता के आधार पर की जाएगी।
7. व्यक्तिगत सेवा प्रदाता द्वारा online आवेदन समर्पित करने की अन्तिम तिथि–**05/01/2022** है।

8- उक्त सभी पदों हेतु आयु के लिए **Cut off date 01.01.2020** होगा।

9- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–29 दिनांक–04.01.2021 एवं विशेष सचिव एवं परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, राँची के पंत्राक–109 दिनांक–30. 07.2021 के आलोक में आवेदन हेतु अधिकतम उम्र सीमा को निम्नवत् किया गया हैः–

क्र०	कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष
5	आथिर्क रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष

10. भूतपूर्व सैनिकों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षो की छूट।
11. संविदा पर नियुक्ति के पूर्व ही संविदा की शर्तो का निर्धारण कर लिया जाय। प्रथम चरण में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए ही ऐसी नियुक्ति की जायेगी।
12. संविदा राशिः– संविदा पर नियुक्ति सामान्य रूप से पूर्ण कालिक तौर पर की जायेगी और जिस पद पर नियुक्ति की जा रही हैं, उसके लिए स्वीकृत वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम पर ही वेतन देय होगा। अंशकालीन नियुक्ति की स्थिति में राशि का निर्धारण कार्य की प्रकृति कार्य की गुणवता आदि को देखते हुए सरकार के द्वारा की जायेगी। वेतनमान के प्रारम्भिक प्रक्रम से अधिक या अतिविशिष्ट कार्यो के सम्पादन हेतु नियुक्ति की स्थिति में राशि निर्धारण वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति से किया जायेगा।
13. संविदा पर नियुक्त कर्मी को नियत वेतन अनुमान्य होगा। नियत वेतन के अलावे किसी प्रकार का भत्ता, मकान भाडा, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता आदि अनुमान्य नहीं होगा। परन्तु सरकारी कार्य के लिये की गई यात्रा के लिये झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली के प्रावधनों के तहत् नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

14. संविदा पर नियुक्त कर्मी पेंशन संबंधी फायदे का हकदार नहीं होगा। परन्तु राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियम के अनुसार चिकित्सीय सुविधा का हकदार होगा।
15. संविदा पर नियुक्त कर्मी को कैलेण्डर वर्ष के लिये राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश देय होगा, परन्तु वे अन्य किसी अवकाश के हकदार नहीं होंगे।
16. संविदा पर नियुक्त कर्मी का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।
17. संविदा पर नियुक्त कर्मी के लिए राज्य कर्मियों की तरह आचार संहिता लागू होगा।
18. संविदा पर नियुक्ति सीधी भर्ती के द्वारा चयन द्वारा की जायेगी।
19. संविदा पर नियुक्ति के लिये योग्यता, प्रशिक्षण अनुभव आदि वहीं रहेगा, जो भर्त्ती एवं प्रोन्नति नियमावली के अनुसार पद विशेष के लिये निर्धारित है। परन्तु परिस्थिति विशेष में राज्य सरकार पात्रता की शर्त्तो को शिथिल कर सकती है।

उपायुक्त,
कोडरमा।

ज्ञापांक–868.../स०क० दिनांक–04/12/2021

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि विज्ञापन को सभी दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय एवं राज्य संस्करण में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।

प्रतिलिपिः– डी०आई०ओ० एन०आई०सी०, कोडरमा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को जिला के पोर्टल **www.koderma.nic.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः– **ISD,JAP-IT,** झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन से संबंधित विवरणी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप को **JAP-IT** के आधिकारिक वेबसाईट **www.recrutment.jharkhand.gov.in** पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव एवं परियोजना निदेशक, झारखण्ड, महिला विकास समिति, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
कोडरमा।